प्रेषक,

स्वप्न आनन्द,
सिविल जज (सी0डि0),
गाजीपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

विषयः–एलएल0एम0 की उपाधि प्राप्त करने के बाद तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्रता पूर्वक अवगत कराना है कि सेवा में आने से पूर्व मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एल0एल0एम0 की पढ़ाई कर रहा था। किन्तु उ0प्र0 न्यायिक सेवा में चयन हो जाने के कारण मैं एल0एल0एम0 की पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। अतः मैंने माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर [पत्रांक सं0–8437/IV-4018/Admin(A-4) दिनांकित 29.06.2019] कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से दुरस्त शिक्षा के माध्यम से एल0एल0एम0 की पढ़ाई पूरी कर ली है और इस प्रकार विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली है। इस सम्बन्ध में मैंने दिनांक 02.05.2022 को स्नातकोत्तर उपाधि को अपनी सेवा पुस्तिका में प्रविष्ट कराने तथा तीन अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा था, जो ई–सर्विसेस पोर्टल तथा ई–मेल दिनांकित 28.08.2023 के जरिये प्राप्त सूचना के अनुसार स्वीकृत हो चुका है, किन्तु अभी तक मुझे तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ नहीं मिल रहा है।

शासनादेश सं0–8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टी0सी0 के अनुसार सेवा में आने के उपरान्त विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां अनुमन्य है।

अतः श्रीमान् जी से सादर निवेदन है कि प्रार्थी को उपरोक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में तीन वेतन वृद्धिया प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष उचित आदेश हेतु रखे जाने की कृपा करें।

सादर

दिनांक 22.09.2023

भवदीय

22.9.23

(स्वप्न आनन्द)
सिविल जज (सी0डि0),
गाजीपुर।
J.O. Code UP 1929

संलग्नकः–

1. दिनांक 28.08.2023 को ई–सेवा के माध्यम से प्राप्त सूचना की प्रति।

क्रमांक 1696/IV दिनांक 22-9-2023
अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर
22.09.2023

21:08

APPLICATION FOR INCLUSION OF DEGREE IN SERVICE RECORDS OF JUDICIAL OFFICERS. (APPLICATION NO S00020952022) Inbox

eServicesJO 28 Aug

to me

eServicesJO

Dear Sir / Madam,
Kindly refer to your *APPLICATION NO S00020952022, DATED 20/05/2022* regarding "INCLUSION OF DEGREE IN SERVICE RECORDS OF JUDICIAL OFFICERS.".
In this regard, this is to inform you that your request has been approved by the Competent Authority.
This is for your kind information and necessary action.

© 2023 dc.allahabadhighcourt.in

eServicesJO

This is auto generated mail, do not reply.

99+